भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

R 4194-PBR-16

प्र. क.   / 16–17

बाबुलाल पिता धनसिंह आयु 48 वर्ष जाति गेहलोत धंधा कोटवार(चौकिदार) निवासी ग्राम महुआखेडी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म. प्र.

......................अपीलांट

विरूद्ध

म. प्र. शासन ....रेस्पाडेंट

न्यायालय तहसीलदार महोदय कालापीपल द्वारा उनके न्यायालयीन प्रकरण प्रकरण क. 81 बी 121 / 16–17 मे पारीत आदेश दिनांक 22 / 11 / 16 क विरूद्ध निगरानी धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक निगरानी अंदर अवधि सादर प्रस्तुत है।

यह कि निगरानीकर्ता के विरूद्ध जन सुनवाई मे की गई शिकायत पर से 18. 11.16 को प्रकरण कायम किया और उसके आधार पर निगरानीकर्ता को बिना सुने और कोई जाँच किए बिना चार दिन मे ही निगरानीकर्ता के विरूद्ध विवादीत आदेश 22.11.16 को पारीत किया। जिससे असंतुष्ट होकर के यह निगरानी निम्नलिखीत प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4194-पीबीआर/16 (बाबूलाल/शासन) जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 22-11-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में तहसील न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई है, जिसमें निल्म्बन के पर्याप्त आधार होने से तहसील न्यायालय ने आवेदक को मात्र निलम्बित किया है । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक को पक्ष समर्थन/अभयावेदन प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहृय की जाती है । अध्यक्ष	